

13

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 545] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 5, 1981/अग्राहायण 14, 1903
No. 545] NEW DELHI, SATURDAY, DEC. 5, 1981/AGRAHAYANA 14, 1903

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1981

निर्यात व्यापार नियंत्रण

आदेश

का० अा० 888(अ)--सं० ई (सी) ओ, 1977/एम (224).--आयात तथा निर्यात
(नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा-3 के अन्तर्गत प्रवृत्त अधिकारों का
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पञ्चदश निर्यात (नियंत्रण) आदेश 1977 में और आगे
संशोधन करने के लिये निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात्:—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 34वां संशोधन आदेश, 1981 की संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (निर्यतण) आदेश, 1977 में खुले सामान्य लाइसेंस-3 में क्रम सं०-18 के सामने दर्शाई गई विद्यमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

1	2	3	4
18 (1)	डिब्बों में 2 कि० ग्रा० तक वजन वाले उपभोक्ता पैकटों में भुनी हुई और नमकीन मूंगफली।	बी-23(1)	निर्यात 19,000/- रुपये प्रति टन की न्यूनतम निर्यात कीमत के अधीन अनुमेष होगा।
(2)	2 कि० ग्रा० तक वजन वाली परतदार पैलियों के उपभोक्ता पैकटों में भुनी हुई और नमकीन मूंगफली।		निर्यात 16,500 रुपये प्रति टन की न्यूनतम निर्यात कीमत के अधीन अनुमेष होगा।

[भिसिल संख्या-38/17/80 ई-2 से जारी]

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक,
आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 5th December, 1981

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. No. 888 (E) No. E(C)O. 1977/AM (224).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947(18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Export (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Thirty-fifth Amendment Order, 1981.

2. In the Exports (Control) Order, 1977, in OGL-3, the existing entry appearing against S. No. 18 shall be substituted by the following :—

1	2	3	4
18. (i)	Roasted and salted peanuts in consumer packs weighing upto 2 Kgs. in Cans.	B. 23 (i)	Export will be allowed subject to Minimum export price of Rs. 19,000/ per tonne.
(ii)	Roasted and salted peanuts in consumer packs of laminated pouches weighing upto 2 Kgs.		Export will be allowed subject to minimum export price of Rs. 16,500/ per tonne.

[File No. 38/17/80-E11]

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports & Exports.